



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



सं.आईए/आईएफए/2015/481-96

दिनांक: 01.01.2016

परिपत्र

विषय: स्वायत्त निकायों में सामान्य वित्तीय नियमों की अनुप्रयोज्यता

ऊपरलिखित विषय पर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार कार्यालय ज्ञापन सं. 1(37)/2010-ई II(ए) दिनांक 02.11.2010 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार (प्रति संलग्न), केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (मुख्या.) कार्यालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों/एककों/ शिक्षकों के लिए उत्कृष्टता केंद्रों को सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के प्रावधानों को अपनाने और प्रयोग में लाना अपेक्षित है। वस्तुओं/सेवाओं का क्रय वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात और जब भी अपेक्षित हो, जीएफआर में यथा निर्धारित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए।

सक्षम प्राधिकारी ने चाहते हैं कि वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय लिए सभी क्षे.का./एककों/सीओई बोर्ड की निधि को खर्च करते समय मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार जीएफआर के प्रावधानों की अनुप्रयोज्यता सुनिश्चित करना चाहिए।

हस्ता/-
(जोसेफ इमैनुअल)
सचिव

प्रतिलिपि:

1. बोर्ड के सभी क्षेसीओई/एकक/.का.
2. बोर्ड के अनुभाग अधिकारी स्तर तक के सभी अधिकारी



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

